भारत सरकार
आयुष मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4336
20 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष उत्पादों के संबंध में शिकायतें

4336. डॉ. नामदेव किरसान:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया में दिए गए विज्ञापनों के माध्यम से किसी भी हर्बल और आयुष उत्पाद के बारे में किए गए भ्रामक दावों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या वर्षवार कितनी है;

(ख) क्या इन हर्बल और आयुष उत्पादों को बिना किसी प्रामाणिक नैदानिक परीक्षण के बाजार में बेचे जाने के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आयुष उत्पादों की विश्वसनीयता की जांच करने के उद्देश्य से ऐसी दवाओं के विज्ञापनों की निगरानी करने हेतु राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए राज्यों को कोई निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार देश में इन विज्ञापनों और भ्रामक दावों की जांच करने में कितनी सफल रही है?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (घ): आयुष मंत्रालय की केंद्रीय योजना के तहत देश के विभिन्न भागों में स्थापित आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयूएंडएच) औषधियों के लिए भेषजसतर्कता केंद्रों को भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी करने और संबंधित राज्य विनियामक प्राधिकरणों विभागों को रिपोर्ट करने का अधिकार दिया गया है। देश भर में एक तीन स्तरीय संरचना स्थापित की गई है जिसमें एक राष्ट्रीय भेषजसतर्कता समन्वय केंद्र (एनपीवीसीसी), पांच मध्यवर्ती भेषजसतर्कता केंद्र (आईपीवीसी) और निन्यानवें बाह्य भेषजसतर्कता केंद्र (पीपीवीसी) शामिल हैं। आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधियों के लिए राष्ट्रीय भेषजसतर्कता कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय भेषजसतर्कता समन्वय केंद्र (एनपीवीसीसी) है।

भेषजसतर्कता कार्यक्रम के तहत, संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को आपत्तिजनक विज्ञापनों की नियमित रूप से रिपोर्ट की जाती है ताकि दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई शुरू की जा सके। अब तक आयुष पद्धति के लगभग 378 ब्रांडों को विभिन्न विनियमों का दुरुपयोग करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

भेषजसतर्कता कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक आयुष औषधियों से संबंधित कुल 42951 भ्रामक विज्ञापनों की सूचना दी गई है, पिछले तीन वर्षों का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	**भ्रामक विज्ञापन**
2022	7367+4 (कोविड)
2023	7771
2024(अब तक 2024)	9032
कुल	**24174**

(ख): आयुष मंत्रालय ने राज्य नियामकों और दवा निर्माताओं के अनुरोध पर प्रायोगिक अध्ययनों के संबंध में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 158-बी के प्रावधानों के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया है, जो कुछ प्रकार की आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी (एएसयू) औषधियों की बिक्री के लिए विनिर्माण हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिए सुरक्षा और प्रभावकारिता के प्रमाण के रूप में आवश्यक होता है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के तहत एएसयू औषधियों से संबंधित नियामक प्रावधानों के संदर्भ में "नैदानिक परीक्षण" शब्द

का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि, मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुसार, यदि पाठ्य सामग्री संबंधी औचित्य, प्रकाशित साहित्य तथा पाठ्य संबंधी (आधिकारिक पुस्तक-आधारित) संकेत उस औषधि के उपयोग अथवा संकेत के दावे के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो किसी इच्छित एएसयू औषधि को लाइसेंस जारी करने के लिए प्रायोगिक अध्ययन के रूप में प्रभावकारिता संबंधी प्रमाण की आवश्यकता हो सकती है।

(ग): औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 और उसके अंतर्गत नियमों में आयुष दवाओं सहित औषधियों और औषधीय पदार्थों के भ्रामक विज्ञापनों और अतिरंजित दावों पर रोक लगाने संबंधी प्रावधान शामिल हैं, जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाई देते हैं और सरकार ने इस पर ध्यान दिया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 और उसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों को लागू करने का अधिकार है और औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 की धारा (8) के अंतर्गत राजपत्रित अधिकारियों को किसी भी परिसर में प्रवेश करने, तलाशी लेने, कथित भ्रामक या अनुचित विज्ञापनों से संबंधित किसी भी रिकॉर्ड की जांच करने या जब्त करने और चूक के मामलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए अधिसूचित किया गया है।

*****